



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022026-270016
CG-DL-E-11022026-270016

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947

No. 81]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2026

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 29-सीए/लॉ/डी-355/2026 .— माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21(6)(ग) के अधीन चैट.ए.रेफ 2/2018 में तारीख 23.12.2025 को आदेश दिया है कि श्री किशन गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सदस्यता सं. 084077), स्थायी पता : एच-108, दूसरी मंजिल, होटल मरीना के सामने, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 और व्यवसायिक पता : 215, गुलमोहर एन्क्लेव, नई दिल्ली - 110049 का नाम उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अधीन "अन्य कदाचार" का दोषी पाए जाने के कारण एक साल की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए।

अतः, अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 23.12.2025 के उक्त आदेश के अनुसार और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन, यह

अधिसूचित किया जाता है कि श्री किशन गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सदस्यता सं. 084077) का नाम इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक साल की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव, आईसीएआई
[विज्ञापन-III/4/असा./656/2025-26]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2026

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 29-CA/Law/D-355/2026.—A Division Bench of the Hon'ble High Court of Delhi in CHAT.A.REF 2/2018 under Section 21(6)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949 has ordered on 23.12.2025 that the name of Shri Kishan Gupta, Chartered Accountant (M. NO. 084077), Permanent Address: H - 108, 2nd Floor, Opp Hotel Marina, Cannaught Place, New Delhi-110001 and Professional Address: 215, Gulmohar Enclave, New Delhi - 110049 be removed from the Register of Members for a period of one year after finding him guilty of "Other Misconduct" under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949.

Now, therefore, pursuant to the said order of the Hon'ble Delhi High Court dt. 23.12.2025 and in terms of sub-section (2) of Section 20 of the said Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of Shri Kishan Gupta, Chartered Accountant (M. No. 084077), stands removed from the Register of Members for period of one year w.e.f. the date of publication of this notification.

CA. (Dr.) Jai Kumar Batra, Secy., ICAI
[ADVT.-III/4/Exty./656/2025-26]